

2020/00163

41

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2020/4400

दिनांक 11-10-2020

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 13.9/2020

प्रेषिति :-

तहसीलदार
सिरौही

आपके तहसील कार्यालय सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2020/3464 दिनांक 26-11-2020 के संलग्न प्रार्थी थानाराम पुत्र रूपाजी जाति कुम्हार निवासी गोल तहसील व जिला सिरौही के प्रार्थनापत्र व संलग्न जमाबंदी संवत 2064 से 2067 खाता संख्या 316 व 125 व जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 117 पटवारी हल्का गोल की रिपोर्ट दिनांक 21-11-2020 व आपके अनुशंषा रिपोर्ट के आधार पर का गहनतापूर्वक अवलोकन व उस पर मनन करने के उपरान्त सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन यह पाया कि वक्त सेग्रिगेशन मिसल बंदोवस्त दिनांक 14-6-2004 से 13-6-2024 तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की जांच करने पर पाया कि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नाम रूपा पुत्र छोगालाल के स्थान पर रूपा पुत्र जोरिया हि. 1/6 दर्ज किया जाना उचित है। साथ ही उपरोक्त दोनो रेकॉर्ड की जांच अनुसार जोरिया पुत्र रामा कोई व्यक्ति नहीं है। अतः उक्त गलत दर्ज नाम जोरिया पुत्र रामा को हटाया जाना उचित है। मिसल बंदोवस्त के अनुसार दर्ज नाम ओबा, शंकर पुत्र रामा हि. 1/6 दर्ज था। अतः वर्तमान जमाबंदी में ओबा पुत्र रामा हि.1/18 तथा शंकर पुत्र रामा हि. 1/16 के स्थान पर शुद्धि कर ओबा पुत्र रामा हि. 1/12 व शंकर पुत्र रामा हि.1/12 वर्तमान जमाबंदी में दर्ज किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये आपको पुनःमूल प्रार्थी का प्रार्थनापत्र संलग्न जमाबंदी संवत 2064 से 2067 खाता संख्या 316 व 125 व जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 117 पटवारी हल्का गोल की रिपोर्ट दिनांक 21-11-2020 व आपके अनुशंषा रिपोर्ट भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तावानुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नाम रूपा पुत्र छोगालाल के स्थान पर रूपा पुत्र जोरिया हि. 1/6 दर्ज किया जाना उचित है। साथ ही उपरोक्त दोनो रेकॉर्ड की जांच अनुसार जोरिया पुत्र रामा कोई व्यक्ति नहीं है। अतः उक्त गलत दर्ज नाम जोरिया पुत्र रामा को हटाया जाना उचित है। मिसल बंदोवस्त के अनुसार दर्ज नाम ओबा, शंकर पुत्र रामा हि. 1/6 दर्ज था। अतः वर्तमान जमाबंदी में ओबा पुत्र रामा हि.1/18 तथा शंकर पुत्र रामा हि. 1/16 के स्थान पर शुद्धि कर ओबा पुत्र रामा हि. 1/12 व शंकर पुत्र रामा हि.1/12 वर्तमान जमाबंदी में दर्ज शुद्धि कर दर्ज/राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरौही

